



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22092020-221878
CG-DL-E-22092020-221878

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 253]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 22, 2020/भाद्र 31, 1942

No. 253]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 22, 2020/BHADRA 31, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(विदेश व्यापार महानिदेशालय)
सार्वजनिक सूचना
नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2020
सं. 16 / 2015-2020

विषय : भेषज और औषध खेप के निर्यात हेतु पैकेजिंग के स्तरों तथा आपूर्ति श्रृंखला में इनकी आवाजाही में माता-पिता-शिशु तुल्य संबंध को बनाए रखने के साथ खोजबीन प्रणाली का कार्यान्वयन-कार्यान्वयन की तारीख बढ़ाने के संबंध में।

फा. सं. 01/91/180/648/एएम09/ईसी/ई-21052.—समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015-20 के पैरा 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्वारा औषध संरूपण की निर्यात खेप के लिए खोजबीन प्रणाली के कार्यान्वयन हेतु प्रक्रिया निर्धारित करने संबंधी दिनांक 05.01.2016 की सार्वजनिक सूचना सं. 52/2015-20 के साथ पठित दिनांक 05.12.2017 की सार्वजनिक सूचना सं. 43/2015-20, दिनांक 09.05.2018 की सार्वजनिक सूचना सं. 05/2015-20, दिनांक 01.11.2018 की सार्वजनिक सूचना सं. 43/2015-2020, सार्वजनिक सूचना सं. 16/2015-20, दिनांक 04.07.2019 और सार्वजनिक सूचना सं. 66/2015-2020, दिनांक 30.03.2020 द्वारा यथा अधिसूचित प्रक्रिया पुस्तक, 2015-20 के पैरा 2.90क को संशोधित करते हैं।

2. प्रक्रिया पुस्तक 2015-20 के पैरा 2.90क (vi) और (vii) में (दिनांक 30.03.2020 की सार्वजनिक सूचना संख्या 66/2015-2020 द्वारा यथासंशोधित) "दिनांक 01.10.2020" को दिनांक 01.04.2021 द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए।

3. इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव:

लघु उद्योग इकाइयों और गैर लघु उद्योग इकाइयों दोनों द्वारा विनिर्मित औषधों के लिए पैकेजिंग के स्तरों में माता-पिता-शिशु तुल्य संबंध को बनाए रखने के संबंध में औषध संरूपण के निर्यात हेतु खोजबीन प्रणाली के कार्यान्वयन और केन्द्रीय पोर्टल पर इसे अपलोड किए जाने की तिथि बढ़ाकर 01.04.2021 कर दी गई है।

अमित यादव, महानिदेशक, विदेश व्यापार
एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)****PUBLIC NOTICE**New Delhi, the 22nd September, 2020**No. 16 /2015-2020**

Subject: Implementation of the Track and Trace system for export of Pharmaceuticals and drug consignments alongwith maintaining the Parent-Child relationship in the levels of packaging and their movement in supply chain – Extension of date of implementation regarding.

F.No. 01/91/180/648/AM 09/EC/E-21052.—In exercise of the powers conferred under Paragraph 2.04 of the Foreign Trade Policy, 2015-20, as amended from time to time, the Director General of Foreign Trade hereby amends Para 2.90A of Handbook of Procedure- 2015-20, as notified vide Public Notice No. 43/2015-20 dated 05.12.2017 read with Public Notice No. 52 / 2015-20 dated 05.01.2016, Public Notice No. 05/2015-20 dated 09.05.2018, Public Notice No. 43/2015-2020 dated 01.11.2018, Public Notice No. 16/2015-2020 dated 04.07.2019 and Public Notice No. 66/2015-2020 dated 30.03.2020 on laying down the procedure for implementation of the Track and Trace system for export consignments of drug formulations.

2. In Para 2.90 A (vi) and (vii) of Handbook of Procedure - 2015-20 (as amended vide Public Notice No. 66/2015-2020 dated 30.03.2020), "01.10.2020" may be substituted by "**01.04.2021**".

3. **Effect of this Public Notice:**

The date for implementation of Track and Trace system for export of drug formulations with respect to maintaining the Parent-Child relationship in packaging levels and its uploading on Central Portal has been **extended upto 01.04.2021** for both SSI and non SSI manufactured drugs.

AMIT YADAV, Director Genl. of Foreign Trade

Ex-officio Addl. Secy.